कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)

(फोन– 07574–253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

परिपत्र

क्रमांक 836/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 27.07.2020

प्रति,

(1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
(2) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण काल में अवकाश के संबंध में।

संदर्भः– माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के साथ दिनांक 25.07.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुयी बैठक में दिये गये दिशा निर्देश।

––00––

उपरोक्त विषयानुसार माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के साथ विगत दिनांक 25.07.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हुयी बैठक में दिये गये निर्देशानुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण को देखते हुये सामान्यतः न्यायिक अधिकारीगण एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को अवकाश अथवा मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति स्वीकृत नहीं की जावेगी केवल माता–पिता की मृत्यु जैसे कारण अथवा अपरिहार्य कारणों पर ही अत्यावश्यक होने पर अवकाश/मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्त पर स्वीकृत की जावेंगीः–

(1) अवकाश लेकर मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति में गन्तव्य से लौटने पर कोविड–19 के दिशानिर्देश अनुसार स्वयं का अवकाश लेकर न्यूनतम सात दिवस होम कोरंटाईन रहने के उपरांत ही चिकित्सीय प्रमाण पत्र पेश करने पर कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति दी जावेगी।

(2) बिना अनुमति अवकाश अथवा मुख्यालय से बाहर जाना पाये जाने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी/तृतीय व चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सूचित किया जावेगा एवं उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद

पृष्ठांकन कमांक 837/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 27.07.2020

प्रतिलिपि,

(1) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) की ओर समस्त शासकीय सेवकों को सूचित किये जाने बावत्।

(2) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

27.7.20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)